न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं0 347/2026 अनवान जगमालराम व अन्य बनाम उम्मेदाराम वगैरा

दिनांक 18 .05.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी फलौदी (फलौदी) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन/वाद सं0 64/2024 बअनवान उम्मेदाराम व अन्य बनाम दली वगैराह में पारित आदेश दिनांक 22.12.2024 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 से 4–प्रार्थी–उम्मेदाराम वगैरा ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील फलौदी स्थित ग्राम एका भाटियान के ख.नं. 289/77 रकबा 6.6530 हैक्टर भूमि की फर्द पैमाईश दिनांक 21.05.2024 के अनुसार पुलिस इमदाद के साथ नेखमबंदी/पत्थरगढ़ी करवाने का आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–अप्रार्थी सं0 7 से 10–जगमाल वगैरा ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट श्री वसीम अकरम एवं रेस्पो0सं0 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट्स ग्राम एका भाटियान स्थित वादग्रस्त खसरान के पडौसी ख0नं0 298/285 के खातेदार है। आलौच्य प्रकरण में सुनवाई दिनांक 26.12.2024 मुकर्रर की गई थी, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसे पूर्व की दिनांक 22.12.2024 को चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत–2024 मे रख कर एकतरफा निर्णित कर दिया गया। अप्रार्थी के नोटिस तामिल नही हुए और न ही तामिल शुदा नोटिस पत्रावली पर उपलब्ध थे, जिसे अनदेखा कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश में भी पत्रावली में अंकित वाद संख्या व अनवान प्रकरण के स्थान पर गलत रूप से वाद संख्या 24/2024 पन्नालाल बनाम पप्पुराम वगैरा अंकित कर दिया गया। उक्त समस्त कार्यवाही बहुत ही जल्दबाजी में की गई है। पत्रावली में एकतरफा पैमाईश रिपोर्ट उपलब्ध थी, जो अपीलार्थीगण की गैर मौजूदगी में तैयार की गई है। मौके पर अपीलार्थीगण की रहवासीय ढाणियां बनी हुई है। प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट नही ली गई है। अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरित एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

Scanned with OKEN Scanner

जवाब में राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है कि अपील के साथ प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 08.05.2026 के अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2024 की पालना में वादग्रस्त ख0नं0 289/77 की पत्थरगढी कर दी गई। उक्त मौका फर्द में वर्णित वादग्रस्त खसरान के नजरी नक्शें में बिन्दु सं0 ABFEDC में ख0नं0 438/298 के खातेदार का कब्जा दर्शाया गया है, जो अपील में अभिकथित अनुसार अपीलार्थी की खातेदारी भूमि है। चूंकि अपीलांट्स–विप्रार्थी सं0 7 से 10 हस्तगत अपील के माध्यम से उक्त प्रकरण में सुनवाई चाहते है। अतः न्यायहित में अपीलाधीन आदेश को मौका फर्द दिनांक 08.05.2026 में दर्शाये गये उपरोक्त बिन्दुवार कब्जे की हद तक निरस्त करते हुए, उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी (फलौदी) द्वारा राजस्व आवेदन/वाद सं0 64/2024 बअनवान उम्मेदाराम व अन्य बनाम दली वगैराह में पारित आदेश दिनांक 22.12.2024 को अपीलाधीन आदेश की पालना में वादग्रस्त खसरा नम्बर 289/77 की पत्थरगढी हेतु मौका फर्द दिनांक 08.05.2026 में दर्शाये गये बिन्दु सं0 ABFEDC के मध्य ख0नं0 438/298 के खातेदार के कब्जे की हद तक निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह निरस्त किए गये अपीलाधीन आदेश की हद तक, प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 4 एवं अपीलार्थी–अप्रार्थी सं0 7 से 10 की सुनवाई कर एवं तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण में यथासम्भव 1 माह के भीतर, निरस्त आदेश की हद तक विधिसम्मत निर्णय पारित करावे।

अपीलांट जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय समक्ष दिनांक 22.05.2026 को उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ उपस्थिति देने हेतु सूचित रहे।

निर्णय आज **दिनांक** 18.5.26 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

18/5/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

Scanned with OKEN Scanner